



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243852
CG-DL-E-23022023-243852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944

No. 109]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

आहरण आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा. सं. 18—29 / 14539-आईएनसी.— समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, सुब्बासक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, सत्यमंगलम, कुलथली, जिला करूर-639120 (तमिलनाडु) एएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार तथा तमिलनाडु नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार, चौथा तल, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई-600009, तमिलनाडु को संबोधित नोटिस संख्या 18—29 / 14539-आईएनसी दिनांक 04.05.2022 जारी की गई थी। दिनांक 04.05.2022 को जारी नोटिस की एक प्रति सुब्बासक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, सत्यमंगलम, कुलथली, जिला करूर-639120 (तमिलनाडु) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, सुब्बासक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। और आवश्यकता के अनुसार संस्थान द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

जबकि, परिषद् ने मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 23.11.2021 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों, विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित आवश्यकताओं, में कमी पाई गई है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 08.09.2022 से सुब्बासक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, सत्यमंगलम, कुलथली, जिला करूर-639120 (तमिलनाडु) से एएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक हर व्यक्ति तमिलनाडु राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल तमिलनाडु राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./636/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-29/14539-INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Subbasakthi Institute of Paramedical Sciences** situated at **Sathiyamangalam, Kulthali, Distt. Karur – 639120, Tamilnadu** is recognized by State Government of Tamilnadu and Tamilnadu Nurses & Midwives Council to conduct ANM Course.

Whereas, a notice no. 18-29/14539-INC dated 04/05/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Secretary (H&FW), Department of Health and Family Welfare, Government of Tamilnadu, 04th Floor, Fort. St. George, Secretariat, Chennai – 600009, Tamilnadu was issued. Copy of the notice dated 04/05/2022 was also enclosed to **Subbasakthi Institute of Paramedical Sciences** situated at **Sathiyamangalam, Kulthali, Distt. Karur – 639120, Tamilnadu**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Subbasakthi Institute of Paramedical Sciences**. Even no action, as required, has been taken by the institution.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 05/07/2021 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run **ANM** Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 08/09/2022 any person holding a recognized qualification of **ANM** from **Subbasakthi Institute of Paramedical Sciences** situated at **Sathiyamangalam, Kulthali, Distt. Karur – 639120, Tamilnadu** shall be entitled to be registered only in the State of **Tamilnadu** subject to the orders of State government of Tamilnadu.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./636/2022-23]